

वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-3

(संबंधित मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या :- FP/CG/ROAD/145282/2021

14. स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई। क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

इन्द्रवाती टायगर रिजर्व बीजापुर के अंतर्गत आष्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु आरक्षित वन भूमि रकबा 1.051 हे., संरक्षित वन भूमि रकबा 1.241 हैं., नारंगी वन क्षेत्र रकबा 3.485 हैं एवं राजस्व वन भूमि रकबा 0.103 हैं. कुल वन भूमि रकबा 5.880 हे. का अधोहस्ताक्षर द्वारा दिनांक 06/06/2022 को स्थल निरीक्षण किया गया।

15. क्या संबंधित वन संरक्षक भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत हैं।

सहमत ।

16. प्रस्ताव कि स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ रिपोर्ट ।

उप निदेशक इन्द्रावती टायगर रिजर्व बीजापुर के द्वारा प्रस्ताव के प्रपत्र-3 में दी गई टीप अनुसार प्रकरण को स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

 06.6.2022

दिनांक 06/06/2022

स्थान : जगदलपुर

अभय कुमार श्रीवास्तव

भा.व.से.

मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीवन) एवं
क्षेत्रीय निदेशक इन्द्रावती टायगर रिजर्व
जगदलपुर, बस्तर, छ.ग.